Think IAS...

दृष्टि The Vision

Think Drishti

राजस्थान लोक सेवा आयोग (RAS/RTS)

प्रशासकीय नीतिशास्त्र, व्यवहार एवं विधि (भाग-2)

दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम (Distance Learning Programme)

Code: RJM04

राजस्थान लोक सेवा आयोग (RAS/RTS)

प्रशासकीय नीतिशास्त्र, व्यवहार एवं विधि

(भाग–2)

641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009
दूरभाष : 011-47532596, 87501 87501
टोल फ्री : 1800-121-6260
Web : www.drishtiIAS.com
E-mail : online@groupdrishti.com

पाठ्यक्रम, नोट्स तथा बैच संबंधी updates निरंतर पाने के लिये निम्नलिखित पेज को "like" करें
www.facebook.com/drishtithevisionfoundation
www.twitter.com/drishtiias

RAS DLP

विषय सूची (Contents)

7. बुद्धि **5-19**

- **7.1** बुद्धि : अर्थ एवं अवधारणा 5
- **7.2** बुद्धि के प्रकार 6
- **7.3** बुद्धि के सिद्धांत 11
- **7.4** बुद्धि-लब्धि 13
- **7.5** बुद्धि का मापन 14

8. व्यक्तित्व **20-35**

- **8.1** व्यक्तित्व का अर्थ, परिभाषा एवं प्रकार 20
- **8.2** प्रकार उपागम (व्यक्तित्व के प्रकार) 21
- **8.3** शीलगुण 23
- **8.4** व्यक्तित्व का मनोविश्लेषण सिद्धांत 26
- **8.5** व्यक्तित्व के निर्धारक तत्त्व 27
- **8.6** व्यक्तित्व का मापन 32

9. अधिगम और अभिप्रेरणा **36-58**

- **9.1** अधिगम का अर्थ एवं परिभाषा 36
- **9.2** अधिगम की शैलियाँ 37
- **9.3** स्मृति : अर्थ, अवधारणा एवं प्रकार 39
- **9.4** स्मृति के मॉडल 42
- **9.5** विस्मरण : अर्थ, कारण एवं सिद्धांत 44
- **9.6** अभिप्रेरणा : अर्थ, महत्त्व एवं वर्गीकरण 47
- **9.7** कार्य अभिप्रेरणा के सिद्धांत 50
- **9.8** अभिप्रेरणा का मापन 56

10. जीवन की चुनौतियों का सामना **59-73**

- **10.1** तनाव : अर्थ, परिभाषा एवं प्रकृति 59
- **10.2** तनाव : प्रकार एवं कारण/स्रोत 61
- **10.3** तनाव के प्रभाव एवं लक्षण 64
- **10.4** तनाव प्रबंधन 66
- **10.5** सकारात्मक स्वास्थ्य का प्रोत्साहन 68

11. विधि की अवधारणा **74-96**
11.1 विधि : अर्थ, परिभाषा एवं प्रकार 74
11.2 विधि के स्रोत एवं वर्गीकरण 75
11.3 सामाजिक नियंत्रण में विधि की भूमिका 76
11.4 स्वामित्व : अवधारणा, लक्षण एवं प्रकार 80
11.5 कब्ज़ा : अवधारणा, प्रकृति, तत्त्व एवं प्रकार 83
11.6 'कब्ज़ा' और 'स्वामित्व' में संबंध 87
11.7 विधिक व्यक्ति/व्यक्तित्व : अवधारणा, प्रकार एवं प्रस्थिति 88
11.8 विधिक अधिकार और कर्त्तव्य : अवधारणा, तत्त्व एवं वर्गीकरण 90
11.9 विधिक दायित्व : अर्थ, प्रकार एवं सिद्धांत 94

12. महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराध से संबंधित कानून **97-132**
12.1 महिलाओं के विरुद्ध अपराध 97
12.2 महिलाओं के संरक्षण एवं कल्याण संबंधी सामाजिक कानून 99
12.3 घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 106
12.4 बच्चों के विरुद्ध अपराध 115
12.5 बच्चों के संरक्षण एवं कल्याण संबंधी कानून 118
12.6 कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, प्रतिषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 124
12.7 बालकों का लैंगिक अपराधों से संरक्षण अधिनियम, 2012 129

13. वर्तमान विधिक मुद्दे **133-189**
13.1 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 133
13.2 सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 146
13.3 बौद्धिक संपदा अधिकार 180

14. राजस्थान में महत्त्वपूर्ण भूमि विधियाँ **190-228**
14.1 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 190
14.2 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 203

15. केस स्टडी **229-264**

अध्याय
7

बुद्धि
(Intelligence)

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है एवं समाज के मध्य रहकर ही वह विकसित होता है। बुद्धि के कारण ही मानव अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ माना जाता है। बुद्धि के महत्त्व को देखते हुए ही कहा जाता है कि 'बुद्धिर्यस्य बलंतस्य' अर्थात् जिसमें बुद्धि है वही बलवान है। बुद्धि वह शक्ति है जो हमें समस्याओं का समाधान करने में सहयोग प्रदान करती है। यदि किसी भी कार्य को बिना अशुद्धि तथा बिना कठिनाई के संपन्न किया जाए तो उसे बौद्धिक क्षमता का सूचक माना जाता है। इस रूप में बुद्धि को व्यक्तित्व का निर्धारक एवं महत्त्वपूर्ण तत्त्व कहा जाता है।

पशुओं की तुलना में मानव कई ज्ञानात्मक योग्यताओं को धारण करता है, जो उसे विवेकशील प्राणी बनाते हैं। मानव तर्क, भेद और बोधन कर सकता है और नई स्थिति का सामना करने में भी सक्षम है। व्यापक रूप से व्यक्तिगत विभिन्नताएँ पाई जाती हैं। ज्ञानात्मक क्षमताओं, जिनसे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की अपेक्षा किसी विशिष्ट स्थिति के प्रति अधिक प्रभावशील अनुक्रिया करता है, मनोविज्ञान में इसे बुद्धि कहा जाता है।

7.1 बुद्धि : अर्थ एवं अवधारणा *(Intelligence : Meaning and Concept)*

सामान्य रूप में तीव्रता से सीखने, समझने, स्मरण और तार्किक चिंतन आदि गुण को बुद्धि कहा जाता है। बुद्धि मात्र एक योग्यता ही नहीं है अपितु इसमें अनेक तरह की योग्यताएँ भी सम्मिलित की जाती हैं। प्रसिद्ध वैज्ञानिक वेशलर ने बुद्धि को परिभाषित करते हुए कहा है, "बुद्धि एक समुच्चय या सार्वजनिक क्षमता है, जिसके सहारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है, विवेकपूर्ण चिंतन करता है तथा वातावरण के साथ प्रभावकारी ढंग से समायोजन करता है।" प्रचलित अर्थों में बुद्धि शब्द का प्रयोग ज्ञान, प्रतिभा, प्रज्ञा एवं समझ आदि के अर्थों से होता है। बुद्धि के कारण ही विभिन्न समस्याओं के समाधान करने की क्षमता आती है। मनोवैज्ञानिकों ने 'बुद्धि' के अर्थ को सामान्य अर्थ से विशेष अर्थ में परिभाषित किया है। सर्वप्रथम वर्ष 1923 में बोरिंग ने बुद्धि की औपचारिक परिभाषा दी। उनके अनुसार– "बुद्धि परीक्षण जो मापता है, वही बुद्धि है।"

परिभाषाएँ *(Definitions)*

- **वुडवर्थ और मार्क्विस**—"बुद्धि का अर्थ है प्रतिभा का प्रयोग करना। किसी स्थिति का सामना करने या किसी कार्य को करने के लिये प्रतिभात्मक योग्यताओं का प्रयोग बुद्धि है।"
- **स्टर्न**—"बुद्धि व्यक्ति की वह सामान्य योग्यता है, जिसके द्वारा वह सचेत रूप से नवीन आवश्यकताओं के अनुसार चिंतन करता है। जीवन की नई समस्याओं एवं स्थितियों के अनुसार अपने आपको ढालने की सामान्य मानसिक योग्यता 'बुद्धि' कहलाती है।"
- **टरमैन**—"व्यक्ति जिस अनुपात में अमूर्त चिंतन करता है, उसी अनुपात में वह बुद्धिमान कहलाता है।"
- **वैगनन**— "अपेक्षाकृत नई एवं परिवर्तित स्थितियों को समझने तथा उनके अनुसार समायोजित करने की योग्यता 'बुद्धि' है।"
- **डैविड वैक्सलर**— "बुद्धि व्यक्ति की वह संयुक्त और समग्र क्षमता है, जिसके द्वारा वह उद्देश्यपूर्ण कार्य करता है, विवेकपूर्ण चिंतन करता है और अपने वातावरण का प्रभावशाली ढंग से सामना करता है।"

बुद्धि के संबंध में कुछ स्थापित तथ्य (Some established facts about intelligence)

- प्रकृति एवं पोषण से बुद्धि का संबंध स्पष्ट करने के लिये मनोवैज्ञानिकों ने कई अध्ययन किये हैं, जिससे ज्ञात हुआ है कि 'बुद्धि' वंश परंपरा और वातावरण की उपज होती है। बच्चे के बौद्धिक विकास के लिये प्रकृति एवं पोषण दोनों आवश्यक है।

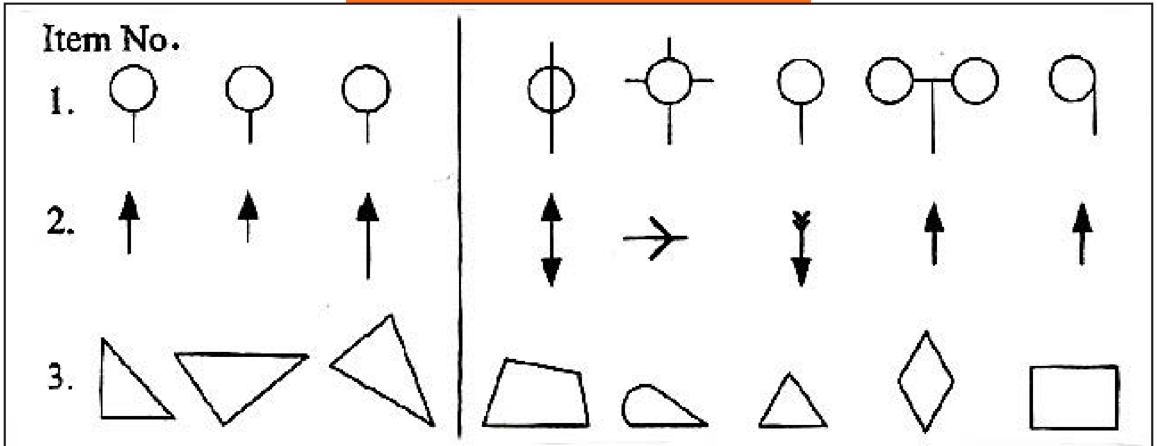

सी.आई.ई. भाषा-रहित सामूहिक बुद्धि परीक्षा का एक प्रश्न।

व्यक्ति बनाम सामूहिक परीक्षाएँ (Individual V/S Group tests)	
व्यक्तिगत परीक्षाएँ	**सामूहिक परीक्षाएँ**
1. इसमें एक समय में मात्र एक ही व्यक्ति का परीक्षण होता है। इसलिये ये श्रम, समय तथा आर्थिक दृष्टिकोण से अधिक खर्चीली है। 2. व्यक्तिगत परीक्षाओं को खास फायदा यह है कि इनके द्वारा प्रौढ़ों और बच्चों दोनों का परीक्षण हो सकता है। 3. इन परीक्षाओं में परीक्षक का परीक्षार्थी के साथ करीबी संपर्क रहता है। अत: वह उसके भावात्मक एवं व्यक्तिगत तत्त्वों का भी ज्ञान प्राप्त कर सकता है, जो परीक्षार्थी के बुद्धि परीक्षण में विशेष रूप से उपयोगी सिद्ध हो सकता है। 4. व्यक्तिगत परीक्षाएँ सामूहिक परीक्षाओं के समान वस्तुपरक एवं स्वीकृत नहीं होती। इनकी व्यवस्था, व्याख्या तथा अंकन के लिये विशिष्ट योग्यता प्राप्त प्रशिक्षित परीक्षकों की आवश्यकता होती है।	1. इन परीक्षाओं का दुगना लाभ है, इनके द्वारा एक समय-में कई व्यक्तियों के समूह का परीक्षण किया जा सकता है और साथ ही भिन्न-भिन्न व्यक्तियों का भी परीक्षण किया जा सकता है। उससे समय, धन तथा श्रम की बहुत बचत होती है। 2. इनके द्वारा 9 या 10 वर्ष से नीचे यानी छोटे बच्चों का परीक्षण नहीं किया जा सकता। 3. इनमें परीक्षक का परीक्षण के साथ वांछित निकट संबंध स्थापित नहीं होता। वह परीक्षार्थी के स्वास्थ्य, मानसिक अवस्था, सामाजिक पृष्ठभूमि आदि की ओर ध्यान नहीं दे सकता। परीक्षक को केवल अंकात्मक स्कोर ही देना होता है उसे व्यक्तिगत परीक्षाओं के समान परीक्षार्थी के संबंध में अतिरिक्त सूचना नहीं मिलती है। 4. सामूहिक परीक्षाएँ अपेक्षाकृत अधिक स्वीकृत एवं वस्तुपरक होती हैं। इनके साथ जिन अंक पुस्तिकाओं एवं निर्देश की व्यवस्था रहती है, उनके कारण इनका अंकन, प्रबंधन एवं व्याख्या सरल हो जाती है और इनके लिये विशेष रूप से प्रशिक्षित व्यक्तियों की ज़रूरत नहीं होती।

परीक्षोपयोगी महत्त्वपूर्ण तथ्य

- बुद्धि कई प्रकार की क्षमताओं का एक संपूर्ण योग माना गया है जिससे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रियाएँ एवं विवेकशील चिंतन करता है तथा वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करता है।
- बुद्धि के प्रमुख तीन प्रकार हैं- सामाजिक बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि।
- मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि को बुद्धि-लब्धि के रूप में बताया है, जिसका सूत्र है-

$$\text{बुद्धि-लब्धि (I.Q.)} = \frac{\text{मानसिक आयु}}{\text{वास्तविक आयु}} \times 100$$

- बुद्धि मापने के लिये विभिन्न तरह के परीक्षणों, मापों आदि का निर्माण किया गया है जिसमें बिने साइमन परीक्षण, रैवेन प्रोग्रेसिव मेट्रिसेज, केटल परीक्षण इसके अतिरिक्त कुछ बुद्धि परीक्षण भारतीय मनोवैज्ञानिकों ने भी विकसित किये हैं। जो भारत में काफी लोकप्रिय सिद्ध हुए।
- बुद्धि सिद्धांतों में मनोवैज्ञानिकों ने कई महत्त्वपूर्ण सिद्धांत दिये हैं, जैसे- गार्डनर की बहुबुद्धि का सिद्धांत, गिलफोर्ड का बुद्धि की संरचना का सिद्धांत, थर्स्टन का सिद्धांत, बर्ट एवं वर्नन का क्रमिक विकास का सिद्धांत व केटल का सिद्धांत आदि।
- आधुनिक युग में बुद्धि परीक्षा विभिन्न क्षेत्रों में बहुत अधिक उपयोगी व महत्त्वपूर्ण सिद्ध हुई है, जैसे- शिक्षा के उपयोग में, मंद बुद्धि बालकों का पता लगाने में, बाल अपराधियों के व्यवहार का पता लगाने में, विशिष्ट वर्गों के अध्ययन में आदि।
- मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि को तीन श्रेणियों में विभक्त किया है- सीखने की क्षमता, समायोजन और अमूर्त चिंतन।
- सामाजिक बुद्धि से तात्पर्य ऐसी मानसिक योग्यता से है, जिसके द्वारा व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को ठीक ढंग से समझता है एवं व्यवहार कुशलता दिखा पाता है। ऐसे लोगों के सामाजिक संबंध अच्छे होते हैं।
- वर्ग घटक सिद्धांत में जी. थामसन ने बुद्धि को अनेक विशिष्ट विशेषताओं तथा क्षमताओं का समूह माना है। उनके अनुसार एक ही वर्ग में कई प्रकार की विशेषताएँ होती हैं।
- कृत्रिम बुद्धि (Artificial Intelligence) एक कंप्यूटर या एक कंप्यूटर नियंत्रित रोबोट या एक सॉफ्टवेयर को विकसित करने की प्रक्रिया है, जो उसी तरह से सोचे जैसे बुद्धिमान मनुष्य सोचता है।

अति लघुउत्तरीय प्रश्न (उत्तर लगभग 15–20 शब्दों में दीजिये)

1. सामाजिक बुद्धि क्या है? **RAS (Mains) 2016**
2. अमूर्त बुद्धि से आप क्या समझते हैं?
3. बुद्धि-लब्धि को समझाइये।
4. सांस्कृतिक बुद्धि किसे कहते हैं?
5. बुद्धि परीक्षण से आप क्या समझते हैं?
6. कृत्रिम बुद्धि से क्या तात्पर्य है?
7. आत्मीकरण क्या है?

लघुउत्तरीय प्रश्न (उत्तर लगभग 50–50 शब्दों में दीजिये)

1. बुद्धि का अर्थ बताते हुए उसके प्रकारों का वर्णन कीजिये।
2. हॉवर्ड गार्डनर का विविध बुद्धि सिद्धांत बताइये।
3. बुद्धि के सिद्धांतों की विवेचना कीजिये।
4. संवेगात्मक बुद्धि से आप क्या समझते हैं? इसके महत्त्व की समीक्षा कीजिये।
5. संज्ञानात्मक बुद्धि क्या है? इस संदर्भ में पियाजे के विचार व्यक्त कीजिये।
6. बुद्धि परीक्षण पर टिप्पणी लिखिये।

दीर्घउत्तरीय प्रश्न (उत्तर लगभग 100 या 200 शब्दों में दीजिये)

1. बुद्धि क्या है? इसके प्रकार एवं विशेषताओं का वर्णन कीजिये।
2. बुद्धि परीक्षण क्या है? बुद्धि परीक्षण के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिये।
3. गार्डनर ने बुद्धि के किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? सिद्धांत का वर्णन कीजिये।
4. बुद्धि-लब्धि (I.Q.) एवं संवेगात्मक बुद्धि (E.Q.) पर लघु निबंध लिखिये।

अध्याय
8

व्यक्तित्व (Personality)

आज के प्रतिस्पर्धात्मक युग में सामाजिक जीवन अत्यंत जटिल हो गया है। इस जटिलता ने मानव जीवन को व्यापक रूप से प्रभावित किया है। इन जटिलताओं के बीच अच्छा, संतुलित और प्रभावशाली व्यक्तित्व की महत्ता अत्यधिक बढ़ गई है। ऐसा माना जाता है कि प्रभावशाली व्यक्तित्व के द्वारा सहज संबंध निर्वाह, तनाव प्रबंधन, संचार, नेतृत्व, सामाजिक ताने-बाने सहित स्वयं के व्यवहार को भी बेहतर ढंग से प्रबंधित किया जा सकता है। व्यक्तिगत जीवन से लेकर सार्वजनिक जीवन में अपने अच्छे व्यक्तित्व से व्यक्ति लोकप्रियता, सफलता, खुशियाँ, सफलता, सम्मान और सामाजिक स्वीकार्यता प्राप्त करता है। इसके विपरीत बुरा व्यक्तित्व व्यक्ति को असफलता, अपयश, असंतोष, अप्रसन्नता और सामाजिक अस्वीकृति दिला सकते हैं। इसलिये लोग व्यक्तित्व को बेहतर बनाने का निरंतर प्रयास करते रहते हैं। आधुनिक समय में व्यक्तित्व की महत्ता बहुत अधिक बढ़ गई है।

8.1 व्यक्तित्व का अर्थ, परिभाषा एवं प्रकार *(Meaning, Defination and Type of Personality)*

प्रत्येक व्यक्ति में कई तरह के गुण होते हैं। कुछ ऐसी विशेषताएँ या विशेष गुण भी पाए जाते हैं जो किसी दूसरे व्यक्ति में नहीं होतीं। इन विशेषताओं या गुणों के कारण ही व्यक्ति एक-दूसरे से अलग या भिन्न होता है। व्यक्ति के इन विशेष गुणों का संगठन ही व्यक्ति का व्यक्तित्व कहलाता है। सामान्य शब्दों में, "व्यक्तित्व व्यक्ति के गुण, अभिरुचि, सामर्थ्य, व्यवहार एवं योग्यता आदि का संगठन है, जो प्रत्येक व्यक्ति को अन्य व्यक्ति से अलग करता है।"

दूसरे शब्दों में व्यक्तित्व से तात्पर्य मनुष्य के व्यवहार की उस शैली से है जिसे वह अपने आंतरिक एवं बाह्य गुणों के आधार पर अभिव्यक्त करता है। किसी व्यक्ति के बाह्य गुणों का प्रकाशन उसके परिधान, बातचीत का ढंग, शारीरिक अभिनय, मुद्राएँ, आदत और अन्य अभिव्यक्तियों से होता है, जबकि व्यक्ति के आंतरिक गुणों में उसकी अंत:प्रेरणा या उद्देश्य, संवेग, प्रत्यक्ष, इच्छा आदि को सम्मिलित किया जाता है। अर्थात् व्यक्तित्व से तात्पर्य व्यक्ति के व्यवहार की उस शैली से है जिसे वह अपने आंतरिक एवं बाह्य गुणों के आधार पर प्रकट करता है। इस रूप में व्यक्तित्व, व्यक्ति के सभी मिश्रित गुणों का वह प्रतिरूप है जो कुछ खास विशेषताओं के कारण उस व्यक्ति को अन्य व्यक्तियों से भिन्न इकाई के रूप में स्थापित करता है। किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व उसके द्वारा की गई अनुक्रिया के आधार पर अनुमानित किया जा सकता है। व्यक्तित्व का अर्थ मनुष्य के व्यवहार की वह शैली है जिसे वह अपने आंतरिक तथा बाह्य गुणों के आधार पर प्रकट करता है। किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के प्रतिबिंब का प्रेक्षण उसके अवलोकन या उसके द्वारा की गई अनुक्रिया के आधार पर अनुमानित किया जा सकता है।

परिभाषाएँ *(Definition)*

आलपोर्ट के अनुसार- "व्यक्तित्व व्यक्ति में उन मनोदैहिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन करता है।"

बोरिंग के अनुसार- "वातावरण के साथ सामान्य एवं स्थायी समायोजन ही व्यक्तित्व है।"

मन के अनुसार- "व्यक्तित्व एक व्यक्ति के व्यवहार के तरीकों, दृष्टिकोणों, क्षमताओं, योग्यताओं तथा अभिरुचियों का विशिष्टतम संगठन है।"

मार्टन प्रिंस के अनुसार- "व्यक्तित्व व्यक्ति की समस्त जैविक, जन्मजात विन्यास, उद्वेग, रुझान, क्षुधाएँ, मूल प्रवृत्तियाँ तथा अर्जित विन्यासों एवं प्रवृत्तियों का समूह है।"

अध्याय
9

अधिगम और अभिप्रेरणा (Learning and Motivation)

मनुष्य के जीवन में अधिगम एवं अभिप्रेरणा का अत्यधिक महत्त्व है। मनुष्य जन्म के बाद से ही सीखना प्रारंभ कर देता है और जीवन भर कुछ-न-कुछ सीखता रहता है, इस प्रक्रिया के दौरान अभिप्रेरणा सतत् रूप से प्रयास करने के लिये प्रेरित करता है। यह एक वास्तविक सत्य है कि प्रत्येक व्यक्ति में कार्य करने की क्षमता होती है परंतु कार्य को कुशलतापूर्वक संपन्न करने के लिये अधिगम एवं अभिप्रेरणा मुख्य आधार के रूप में कार्य करते हैं। अभिप्रेरणा एवं अधिगम व्यक्तियों को सीखने, कौशल ग्रहण करने एवं उसका दक्षतापूर्वक प्रयोग करने तथा कार्य करने के प्रति उत्साहित करते हैं। व्यक्ति के संपूर्ण विकास के लिये ये अनिवार्य तत्त्व हैं।

9.1 अधिगम का अर्थ एवं परिभाषा *(Meaning and Definition of Learning)*

अधिगम या सीखना एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया मानी जाती है। मनोवैज्ञानिकों ने इसे एक मानसिक क्रिया माना है जो जीवनपर्यंत चलती रहती है। इस प्रक्रिया में बच्चा आयु अनुसार परिपक्वता की ओर बढ़ते हुए, अपने शिक्षण-प्रशिक्षण एवं अनुभवों से होते हुए, अपने स्वाभाविक व्यवहार या अनुभूति में प्रगतिशील परिवर्तन, परिमार्जन एवं प्रसरण करता है, इसी को अधिगम या अभिप्रेरणा कहा जाता है। अधिगम या सीखना व्यवहार में ऐसे परिवर्तन को कहा जाता है जिसका उद्देश्य व्यक्ति को समायोजन एवं परिवर्तन करने में सहायता करना होता है। दूसरे शब्दों में अधिगम का सामान्य अर्थ होता है- सीखना या व्यवहार में परिवर्तन करना। यह प्रक्रिया सार्वभौमिक रूप से निरंतर चलती रहती है।

अधिगम की परिभाषाएँ *(Definition of learning)*

पॉल के अनुसार: अधिगम व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उसके वातारण के परिवर्तनों के अनुसार होता है।

ग्रेटस एवं अन्य के अनुसार: अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सीखना या अधिगम कहते हैं।

मार्गन के अनुसार: अधिगम अपेक्षाकृत व्यवहार में स्थायी परिवर्तन है, जो अभ्यास के परिणामस्वरूप होता है।

स्कीनर के अनुसार: व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया ही अधिगम है।

हिलगार्ड एंड बॉअर के अनुसार: सीखना व्यवहार में वह परिवर्तन है जो अभ्यास के फलस्वरूप होता है और यह परिवर्तन परिपक्वता, थकान, औषधि खाने आदि की वजह से हुए परिवर्तन से भिन्न होता है। प्राय: ऐसे परिवर्तन सापेक्ष रूप से स्थायी होते हैं और इनका उद्देश्य व्यक्ति को वातावरण के साथ समायोजन में सहायता पहुँचाना होता है।

अंडरवुड के अनुसार: सीखना नई प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करना है या पुरानी प्रतिक्रियाओं की क्रियाशीलता को बढ़ाना है।

उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि-

- सीखना या अधिगम व्यवहार में स्थायी परिवर्तन है।
- अधिगम व्यक्ति एवं वातावरण के बीच क्रिया-प्रतिक्रिया का परिणाम है।
- अधिगम के द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन होता है।
- अधिगम नए अनुभव ग्रहण करता रहता है।
- यह निरंतर चलने वाली सार्वभौमिक मानसिक प्रक्रिया का परिणाम है।
- अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया है जो निरंतर परिवर्तन के प्रति अग्रसर होती है।
- अधिगम एक विवेकपूर्ण क्रिया एवं सृजनात्मक पद्धति है।

अध्याय
10

जीवन की चुनौतियों का सामना
(Facing the Challenges of Life)

वर्तमान समाज तेज गति से साधन संपन्न हो रहा है। विज्ञान ने मनुष्य का भौतिक जीवन स्तर उन्नत किया है परंतु जटिल सामाजिक व्यवस्था के कारण हर तरह की सुविधाएँ बढ़ने के बाद भी जिस प्रकार से व्यक्ति के दैनिक जीवन की आपाधापी बढ़ रही है, उनमें मानसिक तनाव, भावना व चित्त अस्थिर, चिंता, द्वंद्व, असंतोष आदि बढ़ते जा रहे हैं। जिसके कारण संवेदनहीनता, स्वार्थवृद्धि, जीवन गुणवत्ता एवं व्यक्तिगत क्षमताओं का ह्रास हो रहा है। तेजी से होने वाले परिवर्तनों से गुज़रते समय परिस्थितियों के अनुरूप अपने आपको न ढाल पाने की क्षमता में कमी ने जीवन के हर मोड़ पर चुनौतियों को खड़ा कर दिया है। वर्तमान समय में व्यक्ति अपने बचपन से लेकर मृत्युपर्यंत तनावग्रस्त होने से नहीं बच सकता। जैसे बच्चों को स्कूल का प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण तनाव देता है, तो युवाओं को नौकरी नहीं पा पाना तनाव देता है। जीवन के सामाजिक संबंध सार्वजनिक संबंध से लेकर व्यक्तिगत संबंध तक तनाव से मुक्त नहीं है।

प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के हर मोड़ पर चुनौतियाँ होती हैं। जीवन अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। हम सभी इन चुनौतियों से अपने-अपने तरीके से निपटते हैं। कुछ लोग चुनौतियों से निपटने में सफल होते हैं तो कुछ इन चुनौतियों के दबाव से हार जाते हैं। परंतु जीवन की चुनौतियाँ अनिवार्य रूप से दबाव और कठिनाइयाँ उत्पन्न करने वाली नहीं होती हैं बल्कि यह सकारात्मक और सहयोगी भी होती हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि, उस चुनौती विशेष का अवलोकन और सामना कैसे किया जाता है। इसलिये यह माना जाता है कि "चुनौती के सामने ही किसी व्यक्ति की सर्वोत्तम क्षमता का पता चल पाता है।"

10.1 तनाव : अर्थ, परिभाषा एवं प्रकृति
(Stress/Tension : Meaning, definition and Nature)

'तनाव' शब्द का संबंध उस अनुक्रिया से है जो व्यक्ति ऐसी परिस्थितियों का सामना करते समय करते हैं, जो उन्हें कोई क्रिया करने, किसी-न-किसी रूप में परिवर्तित होने और समायोजित होने के लिये बाध्य करती है, ताकि वे अपनी स्थिति को बनाए रखें अथवा संतुलित रख सकें। तनाव किसी इच्छा, अपेक्षा या माँग के प्रति व्यक्ति का शारीरिक अनुक्रिया या प्रतिक्रिया करने का ढंग है।

मैक्वेन के अनुसार- "किसी व्यक्ति की शरीर क्रिया अथवा मनोवैज्ञानिक अखंडता पर आसन्न ऐसे वास्तविक या विवेचित परेशानी जिसकी शरीर में क्रियात्मक अथवा/तथा व्यावहारिक प्रतिक्रिया होती है, तनाव कहलाता है।"

मौरिन किलोर्न के अनुसार- "तनाव वह नहीं है जो हमें होता है। यह जो होता है उस पर हमारी प्रतिक्रिया होती है। और प्रतिक्रिया कुछ वह है जिसे हम चुन सकते हैं।"

शारीरिक दृष्टि से तनाव का अर्थ शरीर में होने वाली क्षति की मात्रा है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से तनाव उस अवस्था में पैदा होता है जब किसी व्यक्ति से की गई अपेक्षाएँ उसके अनुकूल संसाधनों से अधिक होने लगे या उनका अतिक्रमण करने लगे। जब किसी स्थिति में आया हुआ दबाव व्यक्ति की योग्यता और उसके उपलब्ध संसाधनों से अधिक हो जाए तो उस अवस्था में तनाव उपन्न हो जाता है। या दूसरे शब्दों में तनाव तब उत्पन्न होता है, जब कोई व्यक्ति कार्य के प्रति या परिवार एवं अन्य बाह्य स्रोतों से होने वाली माँगों या अपेक्षाओं तथा दबावों (Stress) के प्रति अनुक्रिया करता है। इसके अलावा आंतरिक रूप से उत्पन्न स्व-आरोपित अपेक्षाओं, आत्म-निरीक्षण एवं उत्तरदायित्व से भी तनाव पैदा होता है।

तनाव या प्रतिबल शब्द हैंस शैले (Hans Selye) (1936) द्वारा दिया गया था। उन्होंने तनाव को "किसी व्यक्ति या कार्य को परिवर्तन की किसी माँग के प्रति एक अविशेष अनुक्रिया" के रूप में परिभाषित किया था। शैले की तनाव की अवधारणा में निम्नलिखित घटक बहुत अधिक महत्त्वपूर्ण हैं-

अध्याय
11

विधि की अवधारणा
(Concepts of Law)

प्रत्येक व्यक्ति समाज का अभिन्न अंग होता है। वह अन्य व्यक्तियों के संपर्क में रहकर अपने संव्यवहार को समाज में संचालित करता है। समाज में व्यक्तियों के आचरणों एवं संव्यवहारों पर उचित नियंत्रण रखने की अत्यंत आवश्यकता है ताकि उनके पारस्परिक हितों की सुरक्षा हो सके। इसी उद्देश्य से राज्य द्वारा विधि का निर्माण किया जाता है जिससे नागरिकों को अपने दायित्वों एवं कर्त्तव्यों का बोध हो सके तथा अनुचित संव्यवहार या आचरण करने पर उन्हें दंडित करने का अधिकार भी राज्य को प्राप्त हो सके।

विधि किसी भी राष्ट्र में सबसे महत्त्वपूर्ण एवं सर्वव्याप्त अवधारणा है। विधि प्रत्येक राष्ट्र का अनिवार्य तत्त्व होता है। व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक का जीवन एवं सामाजिक संव्यवहार विधिक क्रियाकलापों के अनुरूप ही संचालित होता है। इस रूप में विधि एक ऐसी महत्त्वपूर्ण अवधारणा है, जिसके माध्यम से राज्य नागरिकों के आचरण, संव्यवहार एवं क्रियाकलापों पर युक्तियुक्त नियंत्रण रखते हुए समाज में शांति व्यवस्था की स्थापना, लोगों के अधिकारों का संरक्षण तथा उन्हें न्याय प्रदान करता है।

11.1 विधि : अर्थ, परिभाषा एवं प्रकार
(Law : Meaning, Definition and Type)

सामान्य रूप में विधि से तात्पर्य मानवीय कृत्यों के उन नियमों (सामान्य) से है, जिनकी अभिव्यक्ति मनुष्य के बाह्य संव्यवहारों या आचरणों द्वारा होती है तथा जो किसी निश्चित प्राधिकारी द्वारा लागू किये जाते हैं। विधि का प्रमुख उद्देश्य समाज में व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों को विनियमित करना रहा है। दूसरे शब्दों में समाज में व्यक्तियों के आचरणों या संव्यवहारों को उचित या अनुचित निर्धारित करने के लिये राज्य द्वारा जो नियम बनाए जाते हैं, उन्हें ही 'विधि' कहा जाता है। ऑक्सफोर्ड अंग्रेज़ी शब्दकोश में 'विधि' को राज्य द्वारा लागू किया गया आचरण संबंधी नियम कहा गया है।

विधि या कानून दरअसल नियमों का समूह या नियम संहिता है। विधि भली-भाँति लिखे हुए नियम या निर्देशों के रूप में संहिताबद्ध होती है। विधि राज्य द्वारा निर्मित, स्वीकृत एवं प्रवृत्त की जाती है, जिनका अनुपालन अनिवार्य होता है। इनका पालन न करने या अवमानना करने पर न्यायपालिका दंड देती है। विधि का उद्देश्य समाज के आचरण को नियमित करना है। इसके साथ ही अधिकारों और दायित्वों की स्पष्ट व्याख्या करने और समाज में हो रहे अनुचित व अवैध कार्य या लोक नीति के विरुद्ध होने वाले कृत्यों को अपराध घोषित करके अपराधियों में भय पैदा करना भी विधि का उद्देश्य होता है। संविधान-सम्मत आधार पर संचालित होने वाले लोकतांत्रिक राष्ट्रों में 'विधि के शासन' की अवधारणा प्रचलित होती है, यहाँ कोई भी कार्य विधि के दायरे से बाहर नहीं होता है।

विधि की परिभाषा (Definition of Law)

प्राय: विधियाँ अलग-अलग देश और काल में अलग-अलग तरह की होती हैं। इसलिये विधि की कोई एक सर्वमान्य परिभाषा देना या सटीकता ये परिभाषित करना कठिन कार्य है।

हूकर के अनुसार : "ऐसे नियम अथवा उपनियम, जिनके द्वारा मनुष्यों के कार्य संचालित होते हैं, विधि कहलाते हैं।"

हॉलैंड के अनुसार : "विधि से तात्पर्य मानवीय कृत्यों के उन सामान्य नियमों से है, जिनकी अभिव्यक्ति मनुष्य के बाह्य आचरण द्वारा होती है और जो किसी सुनिश्चित प्राधिकारी द्वारा लागू किये जाते हैं। यह प्राधिकारी कोई मानवीय व्यक्ति होता है, जिसे उन मानवीय प्राधिकारियों में से चुना जाता है, जो कि राजनीतिक समाज में सर्वशक्तिमान होते हैं।"

सामंड के अनुसार : "सामान्य अर्थ में विधि के अंतर्गत सभी कार्यों से संबंधित नियमों का समावेश है।"

जे.सी./ग्रे के अनुसार : "राज्य की विधि या मनुष्यों के किसी संगठित समूह की विधि नियमों से बनी होती है, जिन्हें न्यायालय या उस समूह का न्यायिक अंग विधिक अधिकारों एवं कर्त्तव्यों के निर्धारण के लिये प्रतिपादित करता है।"

अध्याय
12

महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराध से संबंधित कानून (Laws Related to Crime Against Women and Children)

देश के समग्र विकास के लिये महिलाओं एवं बच्चों का संरक्षण एवं कल्याण अत्यंत आवश्यक है। एक महत्त्वपूर्ण मानव संसाधन के रूप में विकसित होने के लिये भी महिला एवं बाल विकास पर ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। भारत में लोकनीति एवं सामाजिक विधानों का उद्देश्य महिलाओं एवं बच्चों के प्रति संवेदनशील कानूनों, नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों को लागू करके इन्हें संरक्षित करना है। महिलाओं और बच्चों का भविष्य एक सशक्त, सुरक्षित, आत्मनिर्भर एवं स्वस्थ वातावरण में विकसित हो, इसके लिये सामाजिक विधान एवं कल्याणकारी योजनाओं की महत्ता सतत् रूप से बनी रहेगी।

12.1 महिलाओं के विरुद्ध अपराध *(Crime Against Women)*

जब हम महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों की बात करते हैं तो इससे यह स्पष्ट होता है कि कुछ विशेष प्रकार के अपराध सिर्फ महिलाओं के विरुद्ध ही किये जाते हैं। भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code–IPC) के तहत मुख्य तौर पर निम्नलिखित कृत्यों को महिलाओं के विरुद्ध अपराध माना गया है–

(i) बलात्कार (Rape), (ii) अपहरण या भगा ले जाना (Kidnapping or Abduction), (iii) दहेज़ हत्या, (iv) उत्पीड़न (शारीरिक एवं मानसिक) Harassment (Physically/mentally), (v) छेड़छाड़ (Molestation), (vi) यौन उत्पीड़न (Sexual harassment), (vii) लड़कियाँ मंगवाना या लाना (Import of girls)

> सामाजिक प्रतिरूप राष्ट्रीय संस्थान व राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो के अनुसार हर 33 मिनट में महिलाओं के विरुद्ध एक मामला मिलता है। महिलाओं के विरुद्ध सबसे ज्यादा अपराध क्रमश: उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान व मध्य प्रदेश में देखने को मिलते हैं।

महिलाओं और लड़कियों को विभिन्न अपराधों का सामना, कन्या भ्रूण हत्या, बाल विवाह, पारिवारिक व्यभिचार और कथित ऑनर किलिंग आदि के रूप में करना पड़ता है। यह दहेज़ संबंधी हत्या या घरेलू हिंसा, दुष्कर्म, यौन शोषण, दुर्व्यवहार, दुर्व्यापार, निरादर और निष्कासन के रूप में भी हो सकते हैं। महिलाओं एवं लड़कियों को किसी वस्तु या संपत्ति की तरह खरीदा एवं बेचा जाता है। विवाहेतर संबंधों के आरोप में उन्हें निर्वस्त्र कर एवं उनका सिर मुड़ाकर सार्वजनिक तौर पर घुमाया जाता है। दहेज़ से संबंधित मामलों में उन्हें ज़िंदा जलाकर मार दिया जाता है। कार्यस्थलों पर उनका शारीरिक एवं मानसिक उत्पीड़न किया जाता है। तेजाब से हमला, अश्लील चित्रण, बलात्कार, तस्करी एवं छेड़छाड़ महिलाओं से जुड़ी प्रमुख समस्याएँ हैं।

महिलाओं के साथ होने वाली ऐसी घटनाओं में अक्सर देखा जाता है कि ज़्यादातर महिलाएँ न तो उस समय और न ही घटना के बाद इसका ज़िक्र करती हैं। वे न तो घर में अपने साथ होने वाली हिंसा के बारे में बताती हैं और न पुलिस में उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराती हैं। प्राय: वे समझती हैं कि उनके साथ ऐसा ही होता आया है और इसमें बदलाव नहीं लाया जा सकता है।

महिलाओं के संपूर्ण जीवन-चक्र में उनके विरुद्ध होने वाली हिंसक घटनाओं के विभिन्न स्वरूप *(Various forms of violence against women throughout the life cycle)*

अवस्था	हिंसा के स्वरूप
गर्भधारण पूर्व	क्रोमोसोम चयन तकनीक के ज़रिये कन्या भ्रूण न आने देना।
जन्म से पूर्व	लिंग विशिष्ट गर्भपात करवाना।
शिशु अवस्था	बालिका शिशु हत्या।

अध्याय 13

वर्तमान विधिक मुद्दे (Contemporary Legal Issues)

किसी भी सभ्य समाज में व्यवस्था को सुनिश्चित करने लिये कानूनों की अपरिहार्य रूप से आवश्यकता होती है। व्यवस्था को सुनिश्चित करने के उद्देश्य की पूर्ति के लिये विधि या कानून बनाए जाते हैं, ताकि प्रत्येक नागरिक के अधिकारों को संरक्षित किया जा सके और असामाजिक तत्त्वों से मानवता की रक्षा की जा सके। बदलती परिस्थितियों के अनुरूप नए कानूनों का निर्माण और पहले से मौजूद कानूनों में संशोधन किया जाता है। सूचना प्रौद्योगिकी के वर्तमान युग में नवीन परिस्थितियों के अनुरूप नए कानून बनाए गए हैं। वर्तमान चुनौतियों से निपटने के लिये इन कानूनों की प्रासंगिकता अत्यधिक है।

13.1 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 *(Right to Information Act, 2005)*

सूचना के अधिकार की मांग **राजस्थान** से प्रारंभ हुई। 1990 के दशक में राज्य में एक जनांदोलन की शुरुआत हुई, जिसमें सामाजिक कार्यकर्त्ता **अरुणा राय** की अगुवाई में, **'मज़दूर किसान शक्ति संगठन'** (एम.के.एस.एस.) द्वारा भ्रष्टाचार के पर्दाफाश के लिये 'जनसुनवाई कार्यक्रम' की मांग की गई। वर्ष 1997 में केंद्र सरकार द्वारा **एच.डी. शौरी** की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई, जिसके द्वारा सूचना की स्वतंत्रता का प्रारूप प्रस्तुत किया गया।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 देश के शासन में पारदर्शिता लाने का एक अचूक प्रयास है। भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की पहल पर नागरिकों को आर.टी.आई. (राइट टू इन्फॉर्मेशन) पोर्टल 'गेटवे' उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था की गई है। यह अधिनियम नागरिकों के अनुरोध पर सरकार द्वारा उन्हें समय पर मांगी गई सूचना उपलब्ध कराने का विनिश्चय करता है। यह अधिनियम जहाँ एक ओर नागरिकों को सशक्त करता है वहीं यह भ्रष्टाचार की रोकथाम और लोकतांत्रिक संस्कृति के विकास में भी सहायक भूमिका निभाने का कार्य कर रहा है। इसके अतिरिक्त शासन में पारदर्शिता स्थापित करने तथा जवाबदेहिता विकसित करने में भी यह अधिनियम सक्षम है।

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ *(Short title, extent and commencement)*

वर्ष 2002 में संसद ने 'सूचना की स्वतंत्रता' विधेयक पारित किया। इसे जनवरी 2003 में राष्ट्रपति की मंज़ूरी मिली, लेकिन इसकी नियमावली बनाने के नाम पर इसे लागू नहीं किया गया। यूपीए सरकार ने न्यूनतम साझा कार्यक्रम में किये गए अपने वायदे, पारदर्शिता युक्त शासन व्यवस्था एवं भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाने के लिये 12 मई, 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 संसद में पारित किया, जिसे **15 जून, 2005 को राष्ट्रपति की अनुमति मिली** और अंततः 12 अक्टूबर, 2005 को यह कानून **जम्मू-कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में लागू** किया गया। इसी के साथ सूचना की स्वतंत्रता विधेयक, 2002 को निरस्त कर दिया गया।

इस कानून के राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने से पूर्व 9 राज्यों ने पहले से ही इसे लागू कर रखा था, जिसमें– तमिलनाडु और गोवा ने 1997, कर्नाटक ने 2000, दिल्ली ने 2001, असम, मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं महाराष्ट्र ने 2002 तथा जम्मू-कश्मीर ने 2004 में इसे लागू किया था।

(क) **"समुचित सरकार"** से आशय एक ऐसे लोक प्राधिकरण से है जो–

(i) केंद्रीय सरकार या संघ राज्यक्षेत्र द्वारा स्थापित, गठित, उसके स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या उसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा पूर्णतया वित्तपोषित किया जाता है, केंद्रीय सरकार अभिप्रेत है;

(ii) राज्य सरकार द्वारा स्थापित, गठित, उसके स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या उसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा पूर्णतया वित्तपोषित किया जाता है, राज्य सरकार अभिप्रेत है;

अध्याय 14

राजस्थान में महत्त्वपूर्ण भूमि विधियाँ (Important Land Laws in Rajasthan)

राजस्थान राज्य में भू-राजस्व का निर्धारण एवं संग्रहण, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 तथा उनके अंतर्गत बनाए गए नियमों से शासित होता है। भू-राजस्व में मुख्यतः भूमि का किराया, लीज़ की राशि, प्रीमियम भुगतान, रूपांतरण शुल्क, उत्तराधिकार शुल्क तथा सरकारी भूमि के विक्रय की प्राप्तियाँ सम्मिलित होती हैं। राजस्थान सरकार का राजस्व विभाग एक प्रशासनिक ईकाई की तरह कार्य करता है। राजस्व विभाग भू-राजस्व के निर्धारण एवं संग्रहण से संबंधित सभी मामलों का नियंत्रण, निर्देशन तथा संचालन करता है। राजस्व से संबंधित सभी विषयों के लिये विधियाँ निर्मित की गई हैं, जिनके अनुरूप राजस्व संबंधी विषयों का समाधान किया जाता है।

14.1 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 *(Rajasthan Land Revenue Act, 1956)*

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की प्रमुख धाराएँ निम्नलिखित हैं:

धारा-1 संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ *(Short Title and Commencement)*

यह एक्ट राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 कहलाएगा। इसका विस्तार राजस्थान राज्य के संपूर्ण क्षेत्र में होगा। यह एक्ट राजपत्र में प्रकाशित होने के बाद से लागू माना जाएगा। इसके तहत गैर–कृषि भूमि के लिये राजस्व बोर्ड का गठन होगा।

धारा-3 व्याख्याएँ *(Interpretation)*

धारा 3 में उल्लिखित महत्त्वपूर्ण धाराएँ निम्नलिखित है-

- **भूमि अभिलेख अधिकारी (Land Records Officer) :** भूमि अभिलेख अधिकारी से तात्पर्य कलेक्टर से है, जिसमें अतिरिक्त अथवा सहायक भू-अभिलेख अधिकारी भी शामिल हैं।
- **नज़ूल भूमि (Nazul Land) :** राज्य सरकार के अधीन किसी नगरपालिका, पंचायत सर्किल या गाँव, कस्बे या शहर की सीमा क्षेत्र में स्थित आबादी भूमि।
- **राजस्व अपीलीय प्राधिकरण (Revenue Appellate Authority) :** इसका आशय सेक्शन 20-A के तहत ऐसे प्राधिकरण के रूप में नियुक्त अधिकारी से है।
- **निपटान अधिकारी (Settlement Officer) :** इससे आशय सहायक निपटान अधिकारी से है।

धारा-4 : बोर्ड की स्थापना एवं संरचना *(Establishment and Composition of Board)*

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 4 से लेकर 14 तक (अध्याय-2) में राजस्व बोर्ड के गठन, क्षेत्र अधिकार और शक्तियों के संबंध में प्रावधान किये गए हैं। राजस्व बोर्ड राजस्व संबंधी विवादों के निपटारे में एक शीर्ष एजेंसी या शीर्षस्थ न्यायालय होगा। राजस्व बोर्ड का एक अध्यक्ष (चेयरमैन) होगा, साथ ही न्यूनतम तीन तथा अधिकतम 15 सदस्य होंगे। अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति के लिये योग्यता, चयन के तरीके तथा सेवा संबंधी शर्तों का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।

राजस्व बोर्ड का मुख्यालय अजमेर में होगा, परंतु राज्य सरकार के आदेश पर अजमेर से किसी अन्य स्थान पर भी बैठक की जा सकती है।

अध्याय
15

केस स्टडी
(Case Study)

केस स्टडी इस प्रश्न-पत्र के पूरे पाठ्यक्रम का अनुप्रयुक्त रूप (Applied form) है। यह इकाई पाठ्यक्रम की अन्य इकाइयों की तरह स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रखती बल्कि सभी इकाइयों का सम्मिलित रूप है। केस स्टडी से संबंधित प्रश्न हल करने के लिये आवश्यक है कि पहली सात इकाइयों की अध्ययन सामग्री आपकी विचार प्रक्रिया का अंग बन जाए। विचार प्रक्रिया का अंग बनने का अर्थ है कि जब कोई केस स्टडी आपके सामने आए तो यह सोचने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिये कि इसे टीलियोलॉजी से करना है या डीआंटोलॉजी से, बल्कि केस स्टडी का जो हल आप निकालें उसे अपने आप उपयुक्त विचारधारा के संगत होना चाहिये।

इस प्रश्न-पत्र में बेहतर अंक लाने का सबसे अच्छा तरीका है इसके पाठ्यक्रम में पढ़ी हुई बातों को जीवन में लागू करके देखना। अपने आस-पास की परिस्थितियों व घटनाओं पर गौर करें और विभिन्न लोगों (स्वयं, मित्र, माता-पिता, भाई-बहन) के निर्णयों का विश्लेषण करें। क्या इनके द्वारा लिये गए विभिन्न निर्णय नैतिक दृष्टि से उचित हैं? यदि निर्णयों में औचित्य का अभाव है या वे अनैतिक हैं तो निर्णय को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों पर विचार कीजिये। ऐसे कौन से कारक हैं जो व्यक्तियों को अनैतिक निर्णय लेने के लिये बाध्य करते हैं और आप स्वयं ऐसे दबावों से किस हद तक मुक्त हैं? केस स्टडी का हल आपको प्रायः ऐसे ही प्रश्नों से टकराते हुए खोजना होगा।

केस स्टडी को हल करने की रणनीति

1. कृत्य अथवा घटना की परिस्थिति तथा उसके प्रभाव का विश्लेषण करना चाहिये, जैसे-
   (i) अनैतिक कार्य किया जा चुका है या किया जा रहा है या बाद में होने वाला है। यदि कार्य किया जा रहा है या होने वाला है तो कृत्य को रोकने के उपाय प्राथमिक होंगे परंतु अगर घटना हो चुकी है तो उसके प्रभाव का प्रबंधन प्राथमिकता में होगा।
   (ii) जिस व्यक्ति ने कार्य किया क्या उसकी परिस्थितियाँ बाध्यकारी थीं या वह अनुकूल परिस्थितियों के बावजूद ऐसा कर रहा था? परिस्थितियों के अनुरूप दंड में कठोरता या विनम्रता का समावेश होना चाहिये।
   (iii) कार्य का प्रभाव किस पर पड़ा और कितना पड़ा? यदि किये गए कार्य से कर्त्ता की ही हानि हुई है तो विशेष कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है। कई मामलों में तो कर्त्ता दया का पात्र भी हो सकता है। अगर प्रभाव किसी अन्य व्यक्ति पर हुआ है तो स्थिति को गंभीरता से लेना होगा। अगर कार्य का प्रभाव अतिव्यापक रूप से समाज पर हुआ है तो यह अति गंभीर मामला बनता है। यह भी ध्यान रखना चाहिये कि प्रभाव का स्तर क्या है? जैसे यदि कार्य से किसी व्यक्ति अथवा समाज के अस्तित्व को चुनौती मिलती है तो अति गंभीर मामला बनता है, परंतु यदि कार्य से केवल साधारण स्तर पर थोड़ा-बहुत प्रभाव पड़ रहा है जैसे किसी कक्षा में बच्चे का चिल्लाना, तो हल्के उपायों से ही समाधान किया जाना चाहिये।
   (iv) कर्त्ता की परिस्थितियों में उसकी आयु पृष्ठभूमि तथा तात्कालिक परिस्थितियों पर ध्यान दें। यदि तात्कालिक परिस्थितियाँ कठिन हैं तो यह ध्यान दें कि उनके पीछे उसकी स्वयं की ज़िम्मेदारी कितनी बनती है।
2. निर्णयकर्त्ता के सामने कौन-कौन से नैतिक विकल्प उपलब्ध हैं, उनकी सूची बनाएँ। कदम-दर-कदम (Step-by-Step) सोचते हुए अधिकतम विकल्पों पर विचार करें।
3. विभिन्न नैतिक विकल्पों को अपनाने से होने वाले संभावित परिणामों पर विचार करें। यह विचार अल्पकालिक तथा दीर्घकालिक दोनों दृष्टियों से होना चाहिये। यह भी सोचना चाहिये कि नैतिक विकल्प का परिणाम हमारे उद्देश्य से सुसंगत होगा कि नहीं। परिणाम पर विचार करने के कुछ आधार हैं:

डी.एल.पी. बुकलेट्स की विशेषताएँ

- आयोग के नवीनतम पैटर्न पर आधारित अध्ययन सामग्री।
- पैराग्राफ, बुलेट फॉर्म, सारणी, फ्लोचार्ट तथा मानचित्र का उपयुक्त समावेश।
- विषयवस्तु की सरलता, प्रामाणिकता तथा परीक्षा की दृष्टि से उपयोगिता पर विशेष ध्यान।
- क्विक रिवीजन हेतु प्रत्येक अध्याय में महत्त्वपूर्ण तथ्यों का संकलन।
- प्रत्येक अध्याय के अंत में विगत वर्षों में पूछे गए एवं संभावित प्रश्नों का समावेश।

Website : www.drishtiIAS.com
E-mail : online@groupdrishti.com

DrishtiIAS
YouTube Drishti IAS
drishtiias
drishtithevisionfoundation

641, First Floor, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-110009
Phones : 011-47532596, +91-8130392354, 813039235456